

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग ।
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

सं० सं०-टी-3/बजट-02/2018-

388

/पटना, दिनांक:- 28.02.18

सेवा में,

महालेखाकार
वीरचन्द्र पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

अनुपचारिक
रूप से परामर्शित

द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-03-प्रशिक्षण -लघु शीर्ष-003-शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों प्रशिक्षण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0005-मुख्यालय स्थापना (विपत्र कोड-26-2230030030005) के अन्तर्गत के विषयशीर्ष 0005.01.01 वेतन मद में रु०- 42,80,000/-, 0005.01.03 जीवन यापन भत्ता मद में रु०- 2,14,000/-, 0005.01.04 मकान किराया भत्ता मद में रु० - 1,46,000/- 0005.01.06 चिकित्सा भत्ता मद में रु०- 1,00,000/-, 0005.01.07 अन्य भत्ता मद में रु० -50,000/-, अर्थात् कुल रु० 47,90,000/- (सैंतालिस लाख नब्बे हजार.) मात्र का पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश:-

बिहार वित्तीय नियमावली भाग-I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत ।


2.

यह राशि विषयांकित उपरोक्त व्यय शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषयशीर्ष 0005.01.01 वेतन, 0005.01.03 जीवन यापन भत्ता, 0005.01.04 मकान किराया भत्ता, 0005.01.06 चिकित्सा भत्ता, 0005.01.07 अन्य भत्ता मद, विपत्र कोड-26- 2230030030005 से विकलनीय होगी ।

3.

इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत संचालित कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें।।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(के० सेंथिल कुमार)

अपर सचिव ।


श्रम संसाधन विभाग।

/पटना, दिनांक:- 28.02.18

ज्ञापांक- टी-3/बजट-02/2018-

388

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर सचिव ।


श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-3/बजट-02/2018-

388

/पटना, दिनांक:- 28.2.18

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) / वित्त विभाग (प्रशाखा-02) / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / प्रशाखा 2 (सरकार पक्ष) / आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर सचिव ।

श्रम संसाधन विभाग।